# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## फरवरी–अप्रैल,2020 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 6,1941)**

**समय 11:00 बजे पूर्वाह्न**

### 1. निधन का उल्लेख

श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, अविभाजित मध्यप्रदेश शासन की पूर्व मंत्री।

### 2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पटल पर रखेंगे।

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–2018 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रविन्द्र चौबे, पशुधन विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–2020 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

### 5. नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

क्रमशः .... 2

## 6. नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

## 7. नियम 267–क के अधीन नवम्बर–दिसम्बर, 2019 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

## 8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

## 9. सभापति तालिका की घोषणा

## 10. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, प्रदेश में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, प्रदेश में सी वीड जेल और एक्सट्रैक्ट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

## 11. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2019–2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

## 12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय
1 घंटा 30 मिनट

छत्तीसगढ़ में रबी फसल की पैदावार को खरीदने के लिये संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था किये जाने के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 24 फरवरी, 2020